भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या:906

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना**

**906. श्री बसावाराज पाटिलः**

**क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है ताकि इसकी शुरुआती चरण में ही पहचान करके रोकथाम के उपाय किए जा सकें जिससे इन रोगों से कम समस्या उत्पन्न होगी?

उत्‍तर

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक )

जबकि स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय है, भारत सरकार देश में मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्‍य सरकारों को सहायता देती है। इस संबंध में मानसिक विकारों के बोझ से निपटने और मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, राज्‍य सरकारों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों की मदद के लिए राष्‍ट्रीय मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (एनएमएचपी)/जिला मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रम (डीएमएचपी) लागू किए जा रहे हैं। डीएमएचपी का एक उद्देश्‍य जिला स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के विभिन्‍न स्‍तरों पर रोकथाम समेत मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं प्रदान करना है। मानसिक विकारों के प्रबंधन, क्षमता निर्माण और मानसिक विकारों की शीघ्र पहचान के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु मानव शक्ति का प्रशिक्षण और विकास करना डीएमएचपी के घटकों में शामिल किए गए हैं, ताकि सूचना, शिक्षा और सम्‍प्रेषण के माध्‍यम से ऐसे मामले का प्रबंधन समय से संभव हो सके। इसके अलावा राष्‍ट्रीय मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य नीति भी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याओं से ग्रस्‍त लोगों द्वारा मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं (रोकथाम सेवाओं, उपचार, देखभाल और सहयोगी सेवाओं सहित) तक ज्‍यादा पहुँच और उसके उपयोग को बढ़ावा देती है।

.........